# उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

**अधिहरण वाद सं0- 63/2012-13**

**राज्य–बनाम – विरेन्द्र मिश्रा**

## आदेश

इस वाद की कार्यवाही पुलिस अवर निरीक्षक, बागबेड़ा, थाना के पत्र संख्या–1124ए/12, दिनांकः–28.07.12 के साथ जुगसलाई (बागबेड़ा) थाना काण्ड सं0–237/12, दिनांक– 02.07.12 में जप्त एल0पी0जी0 गैस सिलिण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 के अन्तर्गत अधिहरण हेतु दिनांक 29/10/2015 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6(बी) के तहत कारण पृच्छा नोटिस निर्गत किया गया था।

विपक्षी विरेन्द्र मिश्रा द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के कंडिका 1 से 10 तक में उल्लेख किया गया है कि " (1) That, the Petitioner is innocent and has been falsely implicated in this case. (2) That the Petitioner is Poor man and earns his livelihood by hard labour and works for social service. (3) That, Sheoji Sao is a bonafide Consumer and his consumer no. is 42581 of Indane Service; he has two cylinders which have been illegally seized and kept is open sun, rain and supposed to danger. (4) That, similarly two cylinder belong to Rajan Kumar Singh is also a bonafide consumer of Indane Service, his cylinder has also been seized. (5) That, one cylinder belongs to Smt. Radha Singh, is a bonafide consumer of H.P. (6) That all these three persons filed petitions in Court of S.D.J.M., for their release and the Court called for a report, copy of petition and order is enclosed. Annexure 1, 2 and 3. (7) That the Petitioners applied for bail and considering the fact that seizure has been made illegally without Authority; Learned District Judge passed Order granting bail, Photo copy of order filed- Annexure-4. (8)That the matter was also considered by the Hon'ble High Court recently and it has been observed that officer below the Rank of Inspector can't act under Act (Petroleum Gas regulation of supply and distribution) order 2000 vide Authority 2013 (i) East Cr. case 420 (JHR) Pramod Dubey Vrs. State of JHARKHAND, (ii) 2011(3) East Criminal Cases Page 248 Patna Jawaharlal.... Vrs. other /state. (9) That petitioner is a poor man, cylinder belong to (i) Rajan Kumar Singh, (ii) Shivaji Sah, (iii) Smt. Radha Singh. (10)That no law has been violated and there is no Primafacie case u/s 7 E.C.Act. "

पुलिस अवर निरीक्षक, बागबेड़ा, थाना के पत्र संख्या–1124ए/12, दिनांकः–28.07.12 के साथ जुगसलाई (बागबेड़ा) थाना काण्ड सं0–237/12, दिनांक–02.07.12 में प्रतिवेदित किया गया हैं कि दिनांक 02.07.12 को रात्रि में 17:30 बजे वादी थाना प्रभारी बागबेड़ा पुलिस दल के साथ गश्ती के लिये थाना से

प्रस्थान किये। गश्ती करते हुए हरहर गुटु काली मंदिर के पास पहुँचे तो गुप्त सूचना मिला की जगदीशपुर रोड नं0–5 में विरेन्द्र मिश्रा नामक व्यक्ति एक दुकान किराये पर लेकर गैस कटिंग का अवैध व्यापार करता है, जिससे गंभीर दुर्घटना की संभावना है। वादी उक्त सूचना से वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए सत्यापन हेतु पुलिस दल के साथ विरेन्द्र मिश्रा के दुकान पर करीब 20–30 बजे पहुँचे। पुलिस दल द्वारा वहाँ उपस्थित दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष दुकान का तलाशी लिया गया तो तलाशी में इण्डेन कम्पनी का एक बड़ा गैस सिलेण्डर एवं एक बड़ा गैस पीन तथा 8 छोटा गैस पीन, 2 चार–चार किलो का खाली गैस सिलेण्डर बरामद हुआ। बरामद गैस सिलेण्डर का वैध कागजात विरेन्द्र मिश्रा द्वारा पुलिस दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पूछताछ के कम में विरेन्द्र मिश्रा द्वारा बताया गया कि उनका गोदाम जगदीशपुर रोड नं0–5 स्थित दिनेश शर्मा के मकान में किराये पर मकान लेकर गोदाम बनाये हैं। उस मकान की तलाशी लेने पर कमरे में से बरामद इण्डेन कम्पनी का 4 भरा सिलेण्डर एवं एच0पी0 कम्पनी का 3 खाली गैस सिलेण्डर तथा 10 खाली छोटा 4–4 किलो का गैस सिलेण्डर एवं 4 छोटा गैस पीन बरामद किया गया। बरामद गैस सिलेण्डरों एवं गैस पीन तथा गैस कटिंग किये जाने के संबंध में श्री मिश्रा द्वारा कोई वैध कागजात पुलिस दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने के कारण दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में श्री विरेन्द्र मिश्रा के यहाँ से जप्त सिलिण्डरों एवं सामानों को पुलिस दल द्वारा विधिवत जप्ती सूची तैयार कर जप्त कर लिया गया।

विपक्षी के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा, थाना प्रतिवेदन एवं उसके साथ संलग्न जप्त सूची सम्पूर्ण अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। विपक्षी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में उल्लेखित बातें बिना किसी वैधिक आधार के समावेषित किया है, जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। थाना प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि इण्डेन कम्पनी का एक बड़ा गैस सिलेण्डर एवं एक बड़ा गैस पीन तथा 8 छोटा गैस पीन, 2 चार–चार किलो का खाली गैस सिलेण्डर बिना किसी वैध कागजात के अवैध रूप से ले जाया जा रहा था, इससे स्पष्ट है कि विपक्षी उक्त किरासन तेल को कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी के नियत में अनाधिकृत रूप से बिक्री हेतु ले जा रहे थे जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–7 3(2)(d) एवं 3(f)(b) का उल्लंघन है एवं धारा–7 में दण्डनीय अपराध है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जुगसलाई (बागबेड़ा) थाना काण्ड सं0–237/12, दिनांक– 02.07.12 को एक बड़ा गैस सिलेण्डर एवं एक बड़ा गैस पीन तथा 8 छोटा गैस पीन, 2 चार–चार किलो का खाली गैस सिलेण्डर जप्त किया जाता है। आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, थाना प्रभारी, जुगसलाई (बागबेड़ा) को भेजें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक 31.05.2016 को पारित किया जा रहा है।

लेखापित एवं संशोधित

31/5/16

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

31/5/16

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।